

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



भारत सरकार
GOVT OF INDIA



निदेशक का कार्यालय OFFICE OF DIRECTOR

मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश

MEGHALAYA & ARUNACHAL PRADESH

भू - स्थानिक आँकड़ा केंद्र z GEO-SPATIAL DATA CENTRE

डाक पेटी सं. ८९ POST BOX NO. #89

माल्की, शिलांग & ७९३००३ MALKI, SHILLONG - 793 001

मेघालय, भारत, MEGHALAYA, INDIA

दूरभाष / Tele.: 0364-2223320

फैक्स / FAX: 0364-2223170/2224937

ई-मेल / E-Mail: megh.gdc.soi@gov.in

इस पत्रका उत्तर मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी. के पते पर भेजना चाहिये, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देते समय इस पत्र की सं. और दिनांक टी जानी चाहिये।
Any reply to this letter should be addressed to the Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, not to any officer by name. The No. & date of this letter should be quoted.

नेमी आदेश संख्या - 04 (प्रशासनिक), दिनांक: 17 MARCH., 2023

ROUTINE ORDER NO. 04 (ADM), DATED 17 MARCH, 2022

1. अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति।

PROMOTION TO THE POST OF OFFICER SURVEYOR ON REGULAR BASIS.

नीचे उल्लिखित अधिकारी सर्वेक्षक को उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47,600 रुपये - 1,51,100 रुपये) में नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

The under mentioned Officer Surveyor is hereby promoted to the post of Officer Surveyor on regular basis in the the **Level -8, of Pay Matrix (Rs 47,600- Rs. 1,51,100)** with effect from the date mentioned against his name.

Sl.No.	Name	Designation	Date of promotion present post	Remarks
1	Shri Neelesh Kumar Dwivedi	Officer Surveyor	06-03-2023	

उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में अपने वेतन के निर्धारण के लिए FR.22(1)(a) (1) के तहत एक विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है। The above officers are required to exercise an option under FR.22(1)(a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

उसमें उल्लिखित लंबित अदालती मामले के परिणाम के लिए एक उपक्रम संबंधित अधिकारी से लिया जाएगा और सेवा पुस्तिका में ई एंड ए.ओ./सी-अनुभाग द्वारा चिपकाया जाएगा। An undertaking for outcome of pending court case mentioned therein, will be taken from the Officer concerned and pasted in the Service Book, by E & A.O./ C- Section.

उपरोक्त अधिकारियों का वेतन कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा। शामिल अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान के भीतर से पूरा किया जाएगा और उचित लेखा शीर्ष से डेबिट किया जाएगा। Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office. The extra expenditure involved will be meet from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2022-2023 and debited to the appropriate Head of Account.

(Authority: - SG's letter No. E.1-574/579-Rules/LDCE dated 03-02-2023)

Contd. P/2-

2. दंड:

PUNISHMENT:


(i) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी ने सीसीएस (सीसी एंड ए) नियम, - 1965 के नियम 12 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 11(iv) के तहत श्री तापस साधक, यूडीसी को निम्नलिखित जुर्माना (यानी मामूली जुर्माना) दिया गया; As a result of disciplinary action under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965,, the Competent Authority in exercise of the powers conferred under Rule 12 (2) of the CCS (CC&A) Rules, 1965 has awarded the following penalty (i.e. Minor penalty) under Rule 11(iv) of CCS (CCA) Rules, 1965 to Shri Tapas Sadhak, UDC the penalty of;

“संचयी प्रभाव से दो (02) वर्ष की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि रोकना।”

“**Withholding of one increment for a period of Two (02) Years with cumulative effect.**”

(अधिकारी/Authorities: 1. तदर्थ अनुशासनात्मक प्राधिकरण का आदेश दिनांक 07-03-2023। **The Order of Ad-hoc Disciplinary Authority dated 07-03-2023.**

2. अतिरिक्त। S.G. NIGST का पत्र संख्या NIGST-C-96/17-Y (सामान्य)/NIGST दिनांक 07-03-2023) **The Addl. S.G. NIGST's letter No. NIGST-C-96/17-Y (Common)/NIGST dated 07-03-2023)**



(कर्नल रंजन नेगी)
निदेशक,
मेघालय एवं अरु. प्रदेश जी.डी.सी.

Distribution:-

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for kind information please./भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून कृपया सूचनार्थ।
2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for kind information, please./अतिरिक्त। S.G., NEZ, शिलांग, कृपया जानकारी के लिए।
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please. / लेखा अधिकारी, आरपी एंड एओ, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <admn.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please./ वेबसाइट प्रभारी, सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट (कौशल किशोर शुक्ला <admn.soi@gov.in>) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे SOI की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
5. E.&A.O, Meg. & Ar. P. GDC for information and necessary action w.r.t. entry in the service record of the concern officers./ ई.&ए.ओ, मेग। और अर। पी. जीडीसी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु बाबत संबंधित अधिकारियों के सेवा अभिलेख में प्रविष्टि।
6. File: 37-G-9/3-D-2/17-Y-9 (Common Inquiry)/4-A- Tapas Sadhak (Conf.) / फाइल: 37-जी-9/3-डी-2/17-वाई-9 (सामान्य पृच्छताछ)/4-ए- तापस साधक (कॉन्फ)।